

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/20 01 - 14 दिनांक : 8/3/19

परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
बांसवाडा/डुंगरपुर।विषय : सामुदायिक भवन निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा निम्नलिखित सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के निर्देश के क्रम मे प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे निम्नलिखित कार्यो की सम्बन्धित पंचायत समिति से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-8 मे वर्णित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु)

क्र. स.	सामुदायिक भवन का नाम व स्थान	ग्रा.प.	प.स.	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>जिला-बांसवाडा</b>							
1	बारादरी निर्माण रामदेव मंदिर सीनियर स्कूल के पास	दनाक्षरी	छोटी सरवन	6108-18/30.01.19	5.00	JTA/BSW/167/20.02.19	5.00
2	बारादरी निर्माण महादेव मंदिर के पास खेड़ापाड़ा	कुण्डल	छोटी सरवन	6108-18/30.01.19	5.00	JTA/BSW/177/21.02.19	5.00
3	खुली बारादरी निर्माण छापेरिया बावजी के पास, ग्राम झुपेल	झुपेल	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/219/18-19/20.02.19	5.00
4	खुली बारादरी निर्माण विजीयामाता मंदिर के पास, ग्राम झुपेल	झुपेल	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/218/18-19/20.02.19	5.00
5	खुली बारादरी निर्माण कसुमर बावसी के पास, ग्राम झुपेल	झुपेल	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/220/18-19/20.02.19	5.00
6	सभा भवन निर्माण राउमावि डुंगर	डुंगर	घाटोल	6108-18/30.01.19	12.00	AEN/PS/GHATOL/1143/21.02.19	12.00
7	सामु. भवन निर्माण महादेव जी मंदिर के पास काकनसेजा ग्राम काकनसेजा	चाचाकोटा	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/12/18-19/20.02.19	5.00
8	सामु. भवन निर्माण माताजी मंदिर के पास बरोडा	चाचाकोटा	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/11/18-19/20.02.19	5.00
9	सामु. भवन निर्माण कार्य हनुमान मंदिर के पास कूण्डला बस्ती ठीकरिया	ठीकरिया	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/212/18-19/18.02.19	5.00
10	सामु. भवन निर्माण खरावेला भैरव जी मंदिर के पास, ठीकरिया	ठीकरिया	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/211/18-19/18.02.19	5.00
11	सामु. भवन निर्माण कार्य जागेश्वर महादेव मंदिर	नया गांव	बांसवाडा	6108-18/30.01.19	5.00	JTA/BSW/206/18-19/01.02.19	5.00
12	सामु. भवन निर्माण कार्य पंचायत भवन के पीछे नया गांव	नया गांव	बांसवाडा	6108-18/30.01.19	5.00	JTA/BSW/209/18-19/01.02.19	5.00
13	खुल्ली बारादरी निर्माण कार्य चरपोटा मोहल्ला टाडी महुडी	नया गांव	बांसवाडा	6108-18/30.01.19	3.00	JTA/BSW/208/18-19/01.02.19	3.00
14	सामु. भवन उपलीनाल वेजवामाता मंदिर के पास, ग्राम नाल	गणारु	बांसवाडा	8111-18/14.02.19	5.00	JTA/BSW/18-19/217/20.02.19	5.00

15	सामु. भवन पितृदेव मंदिर के पास प्रतापनगर, ग्राम प्रतापनगर	सामरिया	बांसवाडा	8111-18 /14.02.19	5.00	JTA/BSW/18-19 /210/02.02.19	5.00
16	सामु. भवन महादेव मंदिर के पास सामरिया, ग्राम सामरिया	सामरिया	बांसवाडा	8111-18 /14.02.19	10.00	XEN/BSW /18-19 /24/ 15.02.19	10.00
			<b>योग</b>		<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
<b>जिला-डूंगरपुर</b>							
1	सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम बुएला	वागदरी	डूंगरपुर	10243-48 /23.02.19	5.00	AEN/PS/DPR/ 1799/15.02.19	5.00
2	सामुदायिक भवन निर्माण पारंगीफला, मझौला	सतीरामपुर	डूंगरपुर	10243-48 /23.02.19	5.00	AEN/PS/DPR/ 1800/15.02.19	5.00
3	सामु. भवन निर्माण, ग्राम साबली	साबली	बिछीवाडा	10243-48/ 23.02.19	5.00	AEN/PS/ BICCHIWARA/ 550/25.02.19	5.00
			<b>योग</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1)मद अन्तर्गत जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति पत्र क्रमांक F.NO.11015/04(20)/2018-Grants शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 26.12.2018 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 500.00 लाख में से होगा।

उपरोक्त कार्य पर परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा /डूंगरपुर के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से प्रथम किस्त कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर पुर्नभरण कर दिया जायेगा।

**शर्त :-**

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S  
आयुक्त  
कृ.पू.उ.

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12001-14  
प्रतिलिपि -

दिनांक : 8/3/19

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा/डूंगरपुर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा/छोटी सरवन/घाटोल जिला बांसवाडा/  
डूंगरपुर/बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

✱  
अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)